न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

वाद सं0:– 93/2012–13

अन्तर्गत बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

मो0 खुर्शीद आलम वगैरह.....वादीगण।

बनाम,

बिहार सरकार वगैरह.....प्रतिवादीगण।

	-: आदेश :-	
31.07.13	यह वाद मो0 खुर्शीद आलम वगैरह के द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत आवेदन देने पर प्रारंभ किया गया। वाद की प्रविष्टि करते हुए प्रतिवादीगण बिहार सरकार वगैरह को नोटिस निर्गत किया गया । प्रतिवादीगण बिहार सरकार वगैरह के तरफ से सहायक सरकारी वकील के द्वारा उपस्थित होकर पक्ष रखा गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा ताराचन्दपुर उर्फ माधोपुर का पुराना खाता–286 पुराना खेसरा–862 रकबा 6 कट्ठा 13 धूर मो0 मुजीबूर रहमान वो अताउर रहमान की जमीन थी। जिससे नया खाता– 497 नया खेसरा– 1536, 1544, वो 1545 का निर्माण हुआ है। यह कि उपरोक्त खाता खेसरा की जमीन मोजीबूर रहमान वगैरह ने दिनांक 25.01.1988 को 1 कट्ठा वो दिनांक 29.06.1990 को 5 कट्ठा 13 धूर आवेदकगण के पिता के हाथों बेचा था तथा उक्त जमीन पर आवेदकगण के पिता शांतिपूर्ण दखल कब्जा में पूरे हक वो अधिकार के साथ आए। यह कि नया सर्वे में सर्वे अमला की गलती से विवादित खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खुल गया है जो सरासर गलत है जब कि आवेदकगण उपरोक्त खाता खेसरा की जमीन का लगाान रसीद कटाते आ रहे है तथा बिहार सरकार को लगान दे रहे है। यह कि बिहार सरकार सिर्फ नया सर्वे खतियान के आधार पर अपना दावा कर रही है जो सरासर गलत है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय से अनुरोध करते है कि विवादित खाता– 497 खेसरा– 1536, 1544, वो 1545 को वादीगण के नाम से घोषित किया जाय। प्रतिवादीगण बिहार सरकार वगैरह के तरफ से बहस करते हुए सहायक सरकारी वकील का कहना है कि नियमतः यह वाद पोषणीय नहीं है। यह कि वाद कालबाधित है तथा वाद दायर करने से पूर्व सिविल प्रकिया संहिता की धारा– 80 का भी अनुपालन नहीं किया गया है।	

यह कि वादी को वाद हेतु कोई कारण नहीं है। यह कि विवादित जमीन बिहार सरकार की है तथा वादीगण का इस जमीन से कोई सरोकार नहीं है।

यह कि मोजीबूर रहमान एवं अताउर रहमान को विवादित जमीन को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था इस प्रकार उनके द्वारा किया गया केबाला का कोई औचित्य नहीं है।

यह कि रिविजनल सर्वे के दौरान सर्वे अमला द्वारा प्रतिवादीगण बिहार सरकार का अधिकार वो स्वत्व की जॉच कर खतियान बिहार सरकार के नाम दर्ज किया गया। जिस पर इस वाद से पूर्व किसी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति नहीं की इस प्रकार भी वाद काल बाधित है।

यह कि वाद में पूरी तरह स्वत्व निर्धारित करने का जटिल मामला है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता वाद को खारिज करने का अनुरोध न्यायालय से करते है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण सिर्फ मोजीबूर रहमान एवं अताउर रहमान द्वारा निष्पादित केबाला के आधार पर दावा करते हैं तथा यह सिद्द करने के लिए कि मोजीबूर रहमान को यह जमीन कहॉ से आई और बेचने का किया अधिकार था न्यायालय में कोई कागजात जमा नहीं करते हैं. साथ ही जिस पूराने खेसरा– 862 से नया रिविजनल सर्वे खेसरा– 1536, 1544 वो 1545 के निर्माण होने का दावा करते है उसके समर्थन में न तो कोई तुलनात्मक नक्शा और न ही कोई कागजात न्यायालय को उपलब्ध कराते है।

मोजीबूर रहमान एवं अताउर रहमान वगैरह को जमीन बेचने का वैद्य अधिकार था कि नहीं यह स्वत्व निर्धारण का एक जटिल एवं पेंचीदा मामला है।

अतः वाद में स्वत्व न्याय निर्णय करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित होने के कारण वाद की कार्यवाही बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा– 4 के उपधारा– 5 के आलोक में बंद करते हुए वाद को निष्पादित किया जाता है। पक्षकार उपचारों की याचना हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित ।

31/7/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बेनीपुर, दरभंगा ।

31/7/13

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बेनीपुर, दरभंगा।